एआई-जनित 'डीपफेक्स' (Deepfakes) के लिए किन नई धाराओं के तहत सजा का प्रावधान किया गया है?
भारत में एआई-जनित 'डीपफेक्स' (Deepfakes) और भ्रामक डिजिटल सामग्री से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी नियम 2026 के तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्य धाराएं और नियम निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं
पुरानी आईपीसी (IPC) की जगह अब नई धाराओं के तहत कार्रवाई होती है:

* धारा 356 (मानहानि): यदि डीपफेक का उपयोग किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है, तो इसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
* धारा 318 (धोखाधड़ी): किसी की पहचान चुराकर (Impersonation) या चेहरा बदलकर धोखाधड़ी करने पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
* धारा 77 और 79: यदि डीपफेक का उपयोग किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने या उसकी अश्लील सामग्री (Non-consensual sexual content) बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें 3 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान है।
* धारा 197: सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भ्रामक सूचना या 'फेक न्यूज' फैलाने पर इस धारा के तहत कार्रवाई होती है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2026 के नए प्रावधान

फरवरी 2026 के संशोधनों ने इसे और अधिक विशिष्ट बना दिया है:

* अनिवार्य निष्कासन (2 घंटे का नियम): यदि कोई डीपफेक किसी की निजी या अश्लील सामग्री से संबंधित है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत के 2 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। ऐसा न करने पर प्लेटफॉर्म पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

* Safe Harbour सुरक्षा की समाप्ति: यदि कोई प्लेटफॉर्म जानबूझकर डीपफेक को नहीं हटाता या उसे बढ़ावा देता है, तो वह कानून के तहत मिलने वाली छूट (Safe Harbour) खो देगा और उसे भी अपराधी माना जाएगा।

* पहचान का प्रकटीकरण (Traceability): कानून के तहत सरकार प्लेटफॉर्म से उस 'प्रथम प्रवर्तक' (First Originator) की जानकारी मांग सकती है जिसने सबसे पहले वह डीपफेक बनाया या साझा किया।

3. आईटी एक्ट की धारा 66D

यह धारा 'कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण (Personation) द्वारा धोखाधड़ी' से संबंधित है। डीपफेक में चूंकि दूसरे का चेहरा इस्तेमाल होता है, इसलिए इस धारा के तहत 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

संक्षिप्त सारांश:

| अपराध का प्रकार | लागू धारा/नियम | संभावित सजा |
| --- | --- | --- |
| अश्लील डीपफेक बनाना | BNS धारा 77/79 | 3-7 साल जेल + जुर्माना |
| पहचान की चोरी/धोखाधड़ी | BNS धारा 318 / IT एक्ट 66D | 3 साल तक जेल |
| कंटेंट न हटाना (प्लेटफॉर्म के लिए) | IT संशोधन नियम 2026 | भारी जुर्माना व कानूनी संरक्षण की समाप्ति |

नोट: सरकार अब एआई टूल्स बनाने वाली कंपनियों के लिए 'वॉटरमार्किंग' अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है, ताकि डीपफेक की पहचान तुरंत हो सके।